न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
199 / 2022	दावा 88 RTA	10.11.2022	23.01.2024

दानाराम पुत्र स्व. रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
–वादी–

<u>बनाम</u>

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
2. गुलाब पुत्री स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
3. गोदावरी पुत्री स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
4. मामराज पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
5. रेखाराम पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
6. रामचन्द्र पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
7. लिछमा पुत्री स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
8. सत्यनारायण पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
9. सुरजाराम पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर तहसील व जिला चूरू(राज.) जरिये शाखा प्रबंधक
11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चूरू तहसील व जिला चूरू जरिये शाखा प्रबंधक
12. केनरा बैंक शाखा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.</u>

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह वादीगण
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार न्यौल 1 से 09

<u>निर्णय</u>

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 स्वर्गीय रूकाराम के वारिसान है जो आपस में सगे भाई–बहन है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पिता रूकाराम का स्वर्गवास दिनांक 20.11.1997 को हो चुका है।

कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 2.9087 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 तादादी 8.7008 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 तादादी 3.5410 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 तादादी 7.7649 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 तादादी 4.1734 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 तादादी 2.7190 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 तादादी 7.7016 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 37.6[illegible] चारणान तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान [illegible] 93 व पुराने खाता सं. 93 है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 [illegible] में दर्ज हो गया, जो कि गलत है। मुलाहिजा हेतु जमाबन्दी [illegible] 2054 से 2057 आदि पेश है। इस प्रकार यह कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी [illegible] हिस्सा भी है जिसे घो[illegible]ये जाने बाबत् यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पिता रूकाराम के निम्न वारिस है जिनका कुर्सीनामा निचेलिखे अनुसार है।

रूकाराम

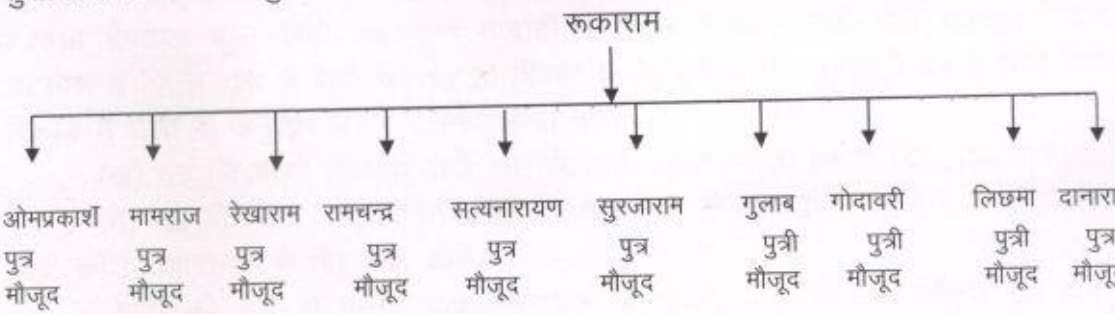

ओमप्रकाश	मामराज	रेखाराम	रामचन्द्र	सत्यनारायण	सुरजाराम	गुलाब	गोदावरी	लिछमा	दानाराम
पुत्र मौजूद	पुत्र मौजूद	पुत्र मौजूद	पुत्र मौजूद	पुत्र मौजूद	पुत्र मौजूद	पुत्री मौजूद	पुत्री मौजूद	पुत्री मौजूद	पुत्र मौजूद

इस प्रकार उपर्युक्त कृषि भूमि में रूकाराम के कुर्सीनामा के अनुसार कुल 10 हिस्से बनते है। इसलिए वादी का 1/20 हिस्सा है। जिसे घोषित करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपर्युक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 20.11.1997 को होने पर वादी के परिवारजन को इंतकाल दर्ज करवाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रही, क्योंकि उस वक्त वादी व प्रतिवादीगण काफी छोटे थे, जिनको राजस्व प्रक्रिया का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं था, विरासतन इंतकाल दिनांक 18.11.2000 को दर्ज करवाते समय वादी के पिता को जो कुर्सीनामा पेश किया गया था, उसमें सहवन से वादी का ना छूट गया, जिस कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं हो सका, तथा अन्य भाईयों व बहिनों व माता के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज हो गया, इस बात की जानकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 को पूर्व में नहीं रही। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 अपने पिता के हिस्सेदारी की कृषि भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार वादी का पैतृक कृषि भूमि में 1/20 हिस्सा बनता है। जिसे घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी सं. 01 ता 09 को कहा व कहलवाया कि वे उसके हिस्से की कृषि भूमि उसके नाम करवा देवे परन्तु वह शुरू में तो हां कर टालमटोल करते रहे अन्त में दिनांक 02.11.2022 को ऐसा करने से इन्कार हो गया लिहाजा यही तारीख बिनयाम मुखास्मत दावा है तथा वादी विवादित कृषि भूमि में हकदार होने से दावाधिकार रखता है। जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 में अन्य खातेदारान के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, ना ही उनके हितो के विपरीत कोई अनुतोष चाहा गया है, इस कारण उन्हे दावा में पक्षकार बनाया गया है, राज्य सरकार के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, ना ही उनके हितो के विपरीत कोई अनुतोष चाहा गया है, इस कारण उन्हे दावा में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। तहसीलदार महोदय को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है, राज्य सरकार के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जिसके हितो पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसलिए बिना दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के हिस्से की कृषि भूमियां 10 ता 12 के यहां रहन रखी होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया।

विवादित कृषि भूमि माननी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित गांव धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू में स्थित होने से [illegible] है तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा हाजा प्रस्तु[illegible] खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे अनुसार डिक्री फरमाया जावे:–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि [illegible] खसरा नम्बर 110 तादादी 2.9087 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 तादादी 8.7008 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 तादादी 3.5410 हैक्टेयर, खसरा

नम्बर 131 तादादी 7.7649 हैक्टेयर खसरा नम्बर 196 तादादी 4.1734 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 तादादी 2.7190 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 तादादी 7.7016 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 37.6106 हैक्टेयर वाके रोही धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू में वादी का 1/20 हिस्सा कब्जा एवं काश्त खातेदारी का है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उसी के अनुसार अमल दरामद किया जावे।

(ख) यह कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 से दिलवाया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने सुनवाई हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 09 की ओर से श्री महेन्द्र न्यौल एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र न्यौल व प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से नरेन्द्र राठौड़ व 12 की ओर से सुनिता जांगिड़ ने वकालत नामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता सुनिता जांगिड़ ने अंकित किया कि बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 ने प्रस्तुत दावा में अंकित अधिकतम तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया कि हम प्रतिवादीगण हमेशा वादी को अपने हिस्से की भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए सहमत थे व वर्तमान में न्यायालय नाम दर्ज करात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह पैतृक सम्पति का हकदार है उस सीमा तक राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा सकता है। वादी का दावा, वादी के कानूनी अधिकारों तक डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिादी संख्या 01 ता 09 को कोई आपति नही है। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से जवाब में प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 01 तथा 07 की ओर जवाबदाता प्रतिवादी संख्या 10 से ऋण ले रखा है अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 07 के द्वारा रहन कर्ता बैंक का समस्त ऋण चुकता करने पर ही वादी प्रतिवादीयों के हिस्सा की भूमि में तबदीली की जा सकती है। मगर फिर भी माननीय न्यायालय दावा में कोई निर्णय पारीत कता है तो बैंक के हितों की सुरक्षा करते हुए निर्णय किया जावे ।

तहसीलदार चूरू से रूकाराम के वारिसान की रिपोर्ट मंगवाई गई जो प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रूकाराम के वारिस निम्नानुसार है। 1. गुमानी देवी (पत्नी) (फौत) 2. ओमप्रकाश (पुत्र) (मौजूद) 3. मामराज (पुत्र) (मौज) 4. रेखाराम (पुत्र) (मौजूद) 5. रामचन्द्र (पुत्र)(मौजूद) 6. सत्यनारायण(पुत्र)(मौजूद) 7. सुरजाराम (पुत्र)(मौजूद) 8. दानाराम (पुत्र)(मौजूद) 9. गिरधारी (पुत्र)(लाऔलाद फौत) 10. रामकुमार(पुत्र)(लाऔलाद फौत) 11. गुलाब (पुत्री)(मौजूद) 12. गोदावारी (पुत्री) (मौजूद) 13. लिछमा (पुत्री) (मौजूद)

सम्वत् 2028 के खाता नम्बर 19 में चुनाराम, रूकाराम पिसरान भूराराम बहिब 2/3 हिस्सा एवं आशी पुत्री भूराराम 1/3 हिस्सा दर्ज है। ग्राम धीरासर चारणान के नामान्तरण संख्या 175 स्वीकृत दिनांक 20.11.20[illegible] में खातेदार रूकाराम का विरासत नामान्तरण रूकाराम के 12 वारिसान के नाम दर्ज हुआ। ग्राम धीरासर च[illegible] नामान्तरण संख्या 627 द्वारा आशी पुत्री भूराराम का परित्याग एवं गि[illegible] दर्ज हुआ है, जिसमें गिरधारी का हिस्सा गिरधारी की माता गुमानी के नाम दर्ज [illegible] साथ ही आशी का 1/3 हिस्सा चुनाराम एवं रूकाराम के वारिसों के नाम दर्ज हुआ। ग्राम धीरासर चारणान के नामान्तरण संख्या 887 स्वीकृत दिनांक 06.08.2021 द्वारा रामकुमार पुत्र रूकाराम, गुमानी पत्नी रूकाराम का विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हुआ है। जिसमें रूकाराम के शेष वारिसों की संख्या 09 जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/18 दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में है।

दावा में वादी संख्या 11 का नाम कुसंयोजित होने से हटाया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा इकबालदावा पेश करने से पत्रावली में तनकियात् कायम न की जाकर सीधे बहस सुनी गई । दावा में सभी प्रतिवादीगण ने इकबालदावा पेश कर दिया है। वकील वादी ने कथन किया कि दावा के समस्त पक्षकारों द्वारा इकबालदावा पेश कर देने से हम साक्ष्यवादी पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः दावा में पेश शपथ पत्र व दस्तावेजात को ही साक्ष्यवादी माना जावे। साक्ष्यवादी बन्द की जाकर वकील प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु कहा गया जिस पर वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि हम अपना इकबालदावा पेश कर चुके हैं, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर दावा पर वकील उभयपक्ष को सुना गया।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि दावा के समस्त प्रतिवादीगण अपना इकबालदावा पेश कर चुके हैं। किसी भी पक्षकार को दावा स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, जिससे वादी का दावा स्वतः ही प्रमाणित होता है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाई जावे। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि यदि वादी का दावा स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 42 में चुनाराम व रूकाराम पि. भुराराम जाट सारण सा. देह बराबर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में चुनाराम, रूकाराम पि. भूराराम ब.हि.ब. 2/3 हिस्सा आसी पुत्री भूराराम हि. 1/3 कौम जाट खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में गुमानी बेवाह रूकाराम व ओमप्रकाश, मामराज, रेखाराम, रामचन्द्र, गिरधारी, सत्यनारायण, रामकुमार, सुरजाराम पि. रूकाराम लिछमा, गुलाब, गोदवारी पुत्रियां रूकाराम ब.हि.ब. 1/3 हि. राहिन चुनाराम वल्द भूराराम, आसी पुत्री भूराराम ब. हि.ब. 2/3 हि. कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज है। विरासतन इंतकाल में रूकारम के इन्तकाल में उनके वारिसान का इन्तकाल दर्ज हुआ है जिसमें रूकाराम के 13 वारिसान है जिनमें गुमानी पत्नी रूकाराम के फौत हो जाने से उसके विरासतन नामान्तरण दर्ज होने से व व रामकुमार व गिरधारी के लाऔलाद फौत हो जाने से रूकाराम के वारिसों की संख्या 10 शेष है जबकि ग्राम धीरासर चारणान के नामान्तरण संख्या 887 में रूकाराम के शेष वारिसों की संख्या 09 है व प्रत्येक के 1/18–1/18 हिस्सा दर्ज हुआ है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड वादी के पिता का नाम रूकाराम, धीरासर चारणान ही है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 में भूरा राम के पुत्र चुनाराम व रूकाराम के वारिसान के नाम अंकित है जिनमें वादी का नाम अंकित नहीं है जबकि रिपोर्ट तहसीदार के अनुसार दानाराम रूकाराम का वारिस है। प्रतिवादीगण द्वारा रहनकर्ता बैंक की ओर से ऋण लिया गया है। जिनके नाम प्रतिवादीगण की भूमि रहन दर्ज है। रहनकर्ता बैंक की ओर से निवेदन किया गया है कि बैंक के हितों को सुरक्षित रक्षते हुए निर्णय पारित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि स्व. भूरा के पुत्र चुनाराम व रूकाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। भूराराम का स्वर्गवास हो जाने पर उक्त कृषि भूमि उसके पुत्र–पुत्रियों [illegible] पुत्र व उसकी पत्नी के वारिसान के नाम ब. हिस्सा बराबर में दर्ज हो [illegible] में 09 पुत्र व 03 पुत्रियां व पत्नी थीं। जिनमें जिनमें से 02 पुत्र गिरधारी व [illegible] हो गये अतः दो पुत्रों व पत्नी को हटाये जाने पर कुल 10 वारिस शेष रहे जो कि रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से स्पष्ट है। रूकाराम के पुत्र दानाराम का नाम राजस्व रि[illegible] में दर्ज नहीं हुआ। वादी रूकाराम का वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

हाने से वादगत कृषि भूमि में 1/20 हिस्सा कब्जा एवं काश्त की होने से खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाने का अनुतोष चाहा है। रूकाराम का स्वर्गवास हो चुका है। वादी ने अपने दावा में स्व. रूकाराम के वारिसान को पक्षकार बनाया है जिन्होंने अपना–अपना इकबालदावा पेश कर वादी के दावा को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है। रूकाराम के वारिसान दाना राम को छोड़कर शेष वारिसान के खातेदारी प्रत्येक के 1/18, 1/18 हिस्से खातेदारी जिसके स्थान पर दानाराम को 1/20 हिस्से खातेदार घोषित करते हुए सभी 10 वारिसान के 1/20, 1/20 हिस्सा अपने नाम से घोषित करवा कर वादगत कृषि भूमि में कुल 1/20 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अंकित करवाने का अधिकारी है। दावा वादी प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादी उचित एवं प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 2.9087 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 तादादी 8.7008 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 तादादी 3.5410 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 तादादी 7.7649 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 तादादी 4.1734 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 तादादी 2.7190 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 तादादी 7.7016 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 37.6106 हैक्टेयर वाके रोही धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 को 01/20–1/20 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित भूमि में दानाराम पुत्र रूकाराम का नाम जोड़ा जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत भूमि में प्रभावित होने वाले पक्षकारों की भूमि रहन मुक्त हाने पर डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

23/01/24

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू कैम्प चूरू
इजलास : श्री अनिल कुमार आर0ए0एस0

दानाराम पुत्र स्व. रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
–वादी–

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
2. गुलाब पुत्री स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
3. गोदावरी पुत्री स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
4. मामराज पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
5. रेखाराम पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
6. रामचन्द्र पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
7. लिछमा पुत्री स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
8. सत्यनारायण पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
9. सुरजाराम पुत्र स्व.रूकाराम जाति जाट निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर तहसील व जिला चूरू(राज.) जरिये शाखा प्रबंधक
11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चूरू तहसील व जिला चूरू जरिये शाखा प्रबंधक
12. केनरा बैंक शाखा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 199 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री हनुमानसिंह राठौड़ वादी, मिनजानिब मुदईब श्री महेन्द्र कुमार एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी उचित एवं प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 2.9087 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 तादादी 8.7008 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 तादादी 3.5410 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 तादादी 7.7649 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 तादादी 4.1734 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 तादादी 2.7190 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 तादादी 7.7016 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 37.6106 हैक्टेयर वाके रोही धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 को 01/20–1/20 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित भूमि में दानाराम पुत्र रूकाराम का नाम जोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि में प्रभावित होने वाले पक्षकारों की भूमि रहन मुक्त होने पर डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह जनवरी सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू